



Neutral Citation No-2026:AHC:10061

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4874 वर्ष 2025

उदय भान सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जटा शंकर पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता चकबंदी के उप निदेशक, फिरोजाबाद (प्रतिपक्षी संख्या-2) द्वारा पारित दिनांक 18.07.2025 के रिमांड आदेश से व्यथित है, जिसके तहत मामले को चकबंदी अधिकारी के समक्ष भेज दिया गया है ताकि संबंधित भूखंड के संबंध में पक्षगण के लॉट (कुरी) के आवंटन का निर्णय लिया जा सके।
3. प्रस्तुत रिट याचिका यूपी चकबंदी ऑफ द चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 9ए(2) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुई है। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 05.11.2014 के आदेश के माध्यम से, एक कथित समझौते के आधार पर प्लॉट संख्या-229 के संबंध में पक्षगण के लॉट (कुरी) का फैसला किया, जिसके बारे में कहा गया था कि यह यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 6 ए के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुई थी। व्यथित होने के बाद, प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने बहाली आवेदन दायर किया है, जिसे चकबंदी अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अपील दायर किए जाने पर, चकबंदी के निपटान अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया है। चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 07.11.2020 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसे अनुमति दी गई थी और पक्षकारों को



18.07.2025 के आदेश के माध्यम से चकबंदी अधिकारी के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि चकबंदी अधिकारी ने एक कथित समझौते के आधार पर पक्षगण को लॉट आवंटित करने का निर्णय लिया; हालांकि, पक्षगण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किसी भी समझौते की कोई प्रति चकबंदी अधिकारी के समक्ष कभी भी दायर नहीं की गई थी। दिनांक 05.11.2014 के आदेश के माध्यम से आपति पर निर्णय लेते समय, चकबंदी अधिकारी ने एक समझौते की एक प्रति को ध्यान में रखा जो कथित तौर पर एक विविध मामले में चकबंदी के निपटान अधिकारी के समक्ष हुई थी। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या-5 और 6 उक्त समझौते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। माना जाता है कि विचाराधीन संपत्ति में अपने-अपने शेयरों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, यह पहले से ही उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 176/177 के तहत मामले संख्या-365/2007-08 में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/उपमंडल अधिकारी, शिकोहाबाद द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। चकबंदी के उप निदेशक ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि चकबंदी अधिकारी ने एक दोषपूर्ण समझौते के आधार पर प्रतिपक्षियों के खिलाफ दिनांक 05.11.2014 को एक एकपक्षीय आदेश पारित किया था, जिसे कथित तौर पर चकबंदी के निपटान अधिकारी के समक्ष अपील के चरण में एक अन्य मामले में रखा गया था। वास्तव में, केस संख्या-130/2020 में चकबंदी अधिकारी के समक्ष पक्षकार, यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 9A(2) के तहत कार्यवाही में, प्रश्न में संपत्ति के संबंध में पक्षगण के बीच कुरा तय करने के इरादे से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। चकबंदी के उप निदेशक द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के पूर्वोक्त निष्कर्ष का रिट याचिकाकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार, पक्षगण के बीच चकबंदी अधिकारी के समक्ष किसी भी समझौते के अभाव में, यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 9ए(2) के तहत आपति इस तरह के कथित समझौते के आधार पर तय की गई है, कानून की नजर में कोई नहीं है। इसलिए, चकबंदी के उप निदेशक ने सही ढंग से संशोधन की अनुमति दी है और कुरा के आवंटन के संबंध में पक्षों को गुण-दोष के आधार पर पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने



के बाद, यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 9ए(2) के तहत आपत्ति पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए चकबंदी अधिकारी के समक्ष पक्षगण को हटा दिया है।

5. उपरोक्त के रूप में इस परिप्रेक्ष्य में, इस न्यायालय के लिए प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करने या चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित रिमांड आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है। चुनौती के तहत आदेश में कोई अवैधता, दुर्बलता या विकृति नहीं है। यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को कैसे पूर्वाग्रह किया गया है, या यदि उसके लिए न्याय के हानि/क्षति का कारण बनने की संभावना है, तो चुनौती के तहत आदेश का स्वामित्व है।

6. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिका, गलत और योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के **खारिज** की जाती है।

जनवरी 14, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)